संख्या–1000/उन्नीस–1–2013–89/2001

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 05 सितम्बर, 2013

विषयः विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धान्त–2003 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–864/सूएवंज0स0वि0(विज्ञा0)422/2013, दिनांक 05.07.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–2130/उन्नीस–1–2003–89/2001 दिनांक 18.12.2003 द्वारा निर्गत विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धान्त–2003 में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3
1	प्रस्तर–2 पुस्तकों/स्मकारिकाओं/समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से भिन्न श्रेणी के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन प्रकाशनों की उपयोगिता व गुणवत्ता के आधार पर निदेशक	समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से भिन्न श्रेणी के अन्य प्रकाशनों/स्मारिकाओं/ पुस्तकों आदि में सजावटी विज्ञापन प्रकाशनों की उपयोगिता व गुणवत्ता के आधार पर निदेशक द्वारा इस शर्त के साथ दिया जा सकेगा कि कुल प्रकाशित की जाने

	की स्वीकृति से निर्गत किये जायेंगे। इसके साथ में यह भी शर्त होगी कि ऐसे प्रकाशनों में कुल प्रकाशित की जाने वाली प्रतियों की संख्या 1000 से कम न हो।	वाली प्रतियों की संख्या दो हजार से कम न हो तथा इस प्रकार के प्रकाशनों के सजावटी विज्ञापनों पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 लाख से अधिक की धनराशि का व्यय नहीं किया जा सकेगा। इस श्रेणी के प्रकाशनों के लिए आर0एन0आई0 में पंजीकरण की बाध्यता न होगी।
2	प्रस्तर–12 सामान्य दशा में विज्ञापन अधिकतम एक पृष्ठ का ही दिया जायेगा, इससे अधिक विज्ञापन की आवश्यकता पर उच्चादेश प्राप्त करना होगा।	सामान्य दशा में विज्ञापन अधिकतन एक पृष्ठ का ही दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में विज्ञापन की उपयोगिता व प्रकाशन की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक को एक पृष्ठ से अधिक सजावटी विज्ञापन निर्गत करने का अधिकार होगा।
3.	प्रस्तर–14 जिन समाचार पत्रों की विज्ञापन दर, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा वही दर दी जायेगी। जिन समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं की डी0ए0वी0पी0 दर निर्धारित नहीं है उन्हें विभागीय दर दी जायेगी। न्यूनतम दर सशुल्क प्रसार संख्या के आधार पर देय होगी।	(i). जिन समाचार पत्रों की विज्ञापन दर डी0ए0वी0पी0 द्वारा निर्धारित है उन्हें विभाग द्वारा वही दर दिया जायेगा। जिन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की डी0ए0वी0पी0 दर निर्धारित नहीं हैं उन्हें विभागीय दर दी जायेगी। न्यूनतम दर सशुल्क प्रसार संख्या के आधार पर देय होगी। (ii). विशेष परिस्थितियों में शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के व्यापक प्रचार–प्रसार करने के दृष्टिगत सूचीबद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र एवं साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाओं से इतर अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के व्यापक प्रसार वाले अखिल भारतीय प्रसार संख्या वाले साप्ताहिक समाचारपत्र एवं साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाओं जिनका सशुल्क प्रसार संख्या 25 हजार से अधिक है, तथा प्रदेशीय स्तर पर प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र एवं साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्रिकाएं जिनकी प्रसार संख्या 10 हजार से अधिक है व आर0एन0आई0 में पंजीकृत हों निदेशक द्वारा वाणिज्यिक दरों पर सजावटी विज्ञापन इस शर्त के साथ निर्गत किए जा सकेंगे कि एक वित्तीय वर्ष

		में विज्ञापन मद के लेखा शीर्षक "2220–सूचना तथा प्रचार (आयोजनेत्तर)–60–अन्य–101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार–05–अधिष्ठान–19– विज्ञापन बिकी एवं विख्यापन व्यय" में आवंटित बजट के तीन प्रतिशत से अधिक की धनराशि का व्यय इस श्रेणी के सजावटी विज्ञापनों पर नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.12.2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या–1000(1)/उन्नीस–1–2013–89/2001 तददिनांक

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहा0निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

4/9/13
(डा0 अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव